AIPOC में माननीय अध्यक्ष का समापन भाषण

भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी,

महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी,

राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी,

महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी,

महाराष्ट्र विधान परिषद की माननीय उपसभापति डॉ. नीलम गोरे जी,

महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी,

विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय वडेत्तिवार जी,

राज्य सभा एवं लोक सभा के महासचिव,

माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण,

उपस्थित गणमान्य अतिथियो, देवियो और सज्जनो,

दो दिनों में इस सम्मेलन में यहाँ के एजेंडा पर समृद्ध, सारगर्भित और ज्ञानवर्धक चर्चा हुई है। हमने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चर्चाओं को केंद्रित किया और लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षक के रूप में अपनी मौलिक जिम्मेदारियों पर संवाद किया।

इन संस्थानों में लोगों के विश्वास को मजबूत करना हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। आपने इस दायित्व के प्रति जो समर्पण दिखाया है, उसे देखकर मुझे खुशी हो रही है।

जब इस मंच की शुरुआत की गई थी, तो हमारा मूल उद्देश्य यही था कि किस प्रकार हम लोकतांत्रिक संस्थानों में हमारे नागरिकों के विश्वास को मजबूत करें।

अपने विचार-विमर्श में हमने अपनी लोकतान्त्रिक संस्थाओं को जनता से जोड़ने और उन्हें अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की।

लोकतंत्र जनता के भरोसे और विश्वास से चलता है। और इसलिए लोकतान्त्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि हम अपनी विधायिकाओं में आवश्यक परिवर्तन लाएं, आवश्यकता हो, तो नियमों में भी संशोधन करें ताकि हम अपनी संस्थाओं को जनता के भरोसे के योग्य बना सकें।

मुझे खुशी है कि सम्मेलन के दौरान आपने अपने - अपने विधान मंडलों में किये जा रहे बेस्ट practices को आपस में साझा किया।

महाराष्ट्र विधान सभा विधायिका में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1964 से ही युवाओं को विधान सभा में आमंत्रित करती रही है ताकि वे विधान मंडल की कार्यवाही को प्रत्यक्ष देख सकें।

मेरे विचार में यह एक महत्वपूर्ण नवाचार है और सभी विधान मंडलों को इसका अनुसरण करना चाहिए।

तमिलनाडु विधान सभा द्वारा विधान मंडलों और जमीनी स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के बीच संवाद का एक मेकनिज़म स्थापित करने का सुझाव दिया गया।

मेरे विचार में यह अत्यंत उत्तम सुझाव है। लोकसभा द्वारा इस संदर्भ में outreach कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं। मेरे विचार में सभी विधायिकाओं को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए।

अपनी विधायिकाओं को पेपरलेस बनाना एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। महाराष्ट्र विधान मण्डल पेपरलेस विधायिका बनने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। हरियाणा ने भी इस दिशा में सफलता प्राप्त की है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संदेश में 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म' के विषय में उल्लेख किया था। लोकसभा ने डिजिटल संसद के माध्यम से इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। कई विधान सभाएं भी इस प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक जुड़ चुकी हैं।

टेक्नॉलजी आज की अनिवार्य आवश्यकता है। चर्चा में कुछ विधान मंडल ने इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हम उस पर आगे और चर्चा करेंगे और शीघ्र ही एक कार्य योजना बनाएंगे। इस कार्य योजना को सभी विधायिकाओं को साझा किया जाएगा।

कई विधान सभाओं ने अपने रिकार्ड को digitize कर लिया है और कई विधायिकाओं में इस में अच्छी प्रगति हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने से हम वित्तीय बचत तो कर ही पाएंगे, साथ ही हम जनता से, विशेषकर युवाओं से प्रभावी तरीके से जुड़ भी पाएंगे।

कुछ विधान सभाओं द्वारा माननीय सदस्यों को टेक्नॉलजी के कारण होने वाली कठिनाई का भी उल्लेख किया गया। परंतु मेरा मानना है कि टेक्नॉलजी का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है और हमें जल्द से जल्द टेक्नॉलजी में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए।

इसके लिए विधान मंडलों में नियमित रूप से क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

इस संदर्भ में कुछ राज्यों ने सुझाव दिए हैं कि लोक सभा द्वारा विधायिकाओं के लिए एक मोडल आईटी पॉलिसी बनाई जाए और उसे सभी विधान मंडलों के साथ साझा किया जाए। हम इस विषय पर आगे चर्चा कर निर्णय लेंगे।

एक सुझाव यह भी आया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची को लेकर एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाए।

हमने इस विषय पर इस मंच पर तथा अन्य मंचों पर भी पहले भी चर्चा की है और इस पर आगे भी चर्चा की जा सकती है।

कुछ सदस्यों द्वारा हमारी विधायिकाओं के सीधे प्रसारण के विषय पर प्रश्न उठाए हैं। पीठासीन अधिकारियों द्वारा कार्यवाही से निकाले हुए अंशों का प्रसारण भी हमारे लिए टेक्नॉलजी से सम्बद्ध चुनौती है। इस पर हम सामूहिकता से चर्चा कर एक निश्चित निर्णय पर पहुचेंगे।

कल हमने अपनी विधायिकाओं में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया था। आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि व्यवधान के कारण हमारी सदनों का अधिक समय नष्ट हो जाता है।

इसलिए हम कार्य योजना बनाएं, रणनीति बनाएं ताकि हमारे सदनों का समय व्यर्थ ना हो, बल्कि जनता के कल्याण के लिए चर्चा संवाद करने में सदन का समय का उपयोग हो। बलपूर्वक एवं नियोजित स्थगन की घटनाएं और व्यवधानों के कारण बहुमूल्य संसदीय समय की हानि वास्तव में हम सभी के लिए चिंता का विषय है।

कल हमने इस विषय पर चिंता जताई थी कि हमारे विधान मंडलों के कार्य दिवस लगातार कम हो रहे हैं। और ऐसे में यदि व्यवधान के कारण विधायी कार्य नहीं हो पाता है, तो आम जनता में विधायिका के प्रति नकारात्मक अवधारणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

यह देश के नागरिकों के लिए चिन्ता का विषय है कि विधान मंडलों में Discussion एवं Debate कम हो रहे हैं, Discipline और Decorum में गिरावट आ रही है और Disturbance और Disruption बढ़ रहा है। इससे विधान मंडलों की छवि पर असर पड़ रहा है।

हमने इस सम्मेलन में समिति-प्रणाली को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने की अनिवार्यता पर विचार-विमर्श किया।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कल अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। न्यायपालिका से सजा प्राप्त अपराधियों का सामाजिक महिमामंडन, समितियों का सशक्तिकरण, पुराने और सार्थकता खो चुके कानूनों का

समापन, विधायिकाओं में महिलाओं की अधिक भूमिका, आदि ऐसे विषय हैं जिस पर हमें गहन विचार करने की आवश्यकता है।

विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर संवाद एवं सहयोग के लिए हमें और अधिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमारी विधायिकाओं को pro active होना होगा, तथा देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक सुझाव देने होंगे।

समितियाँ हमारी संसदीय प्रक्रियाओं की जीवनधारा हैं। उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे प्रभावी शासन और कार्यपालिका की निगरानी के लिए शक्तिशाली साधन बनें।

समितियों में युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार बढ़ाई जाए, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। समितियों को हमें और सशक्त करना होगा और इसके लिए यदि नियमों में संशोधन करना पड़े, तो हमें ऐसे संशोधन भी करने होंगे।

अपने सदनों में नए सदस्यों का उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करें कि जो सदस्य उनके सदनों में पहली बार चुनकर आए हैं, उनको पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त हो। संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाए, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हों। इस विषय पर भी विधान मंडलों में एक निश्चित कार्य योजना बनाई जाए।

हम अपने सदनों में श्रेष्ठ परंपराओं और परिपाटियों को स्थापित करने पर निरंतर चर्चा करनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सदन जनता से बनती है, इसलिए जनता का हित सर्वोपरि है।

मुझे विश्वास है कि यहां मुंबई में इस मंच से लिए गए निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में हमारी भूमिकाओं को और मजबूत करेंगे।

हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करें जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं विश्वास, अखंडता और उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में खड़ी हों।

मुंबई विधान सभा ने अपनी जीवंत भावना से हमारी चर्चाओं के लिए एक प्रेरणादायक पृष्ठभूमि प्रदान की है।

साथियो, मैं सभी प्रतिनिधियों को उनकी सक्रिय भागीदारी, विचारशील अंतर्दृष्टि और उनके महत्वपूर्ण इनपुट के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

इस सम्मेलन की सफलता लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के आदर्शों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता में निहित है।

मैं महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी का तथा विधान परिषद की उपसभापति श्रीमती नीलम गोरहे जी का इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए तथा उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आयोजकों, सहयोगी स्टाफ और इसमें शामिल सभी लोगों की हार्दिक सराहना करता हूं।

इस सम्मेलन में भाग लेने आए पीठासीन अधिकारियों को भी मेरा धन्यवाद कि उन्होंने इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की और इसे सफल बनाने में अपना सम्पूर्ण योगदान दिया।

जय हिन्द!